भारत के राजपत्र-असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/33/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 24 जनवरी, 2025

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई)-31/2024

विषय: यूरोपीय संघ और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट रेजिन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 06/33/2024-डीजीटीआर-** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें यूरोपीय संघ और जापान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" जिसे "पीवीसी पेस्ट रेजिन" के रूप से भी जाना जाता है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या ''संबद्ध वस्तु''भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और

संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" है जिसे "पीवीसी पेस्ट रेजिन" अथवा "इमलसन पीवीसी रेजिन" के नाम से भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट रेजिन को विनाइल क्लोरोराइड मोनोमर के प्रयोग से उत्पादित किया जाता है और आमतौर पर सफेद/ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीयूसी का प्राथमिक रूप से प्रयोग कृत्रिम चमड़ा बनाने में किया जाता है और इस उत्पाद के अन्य प्रयोग रेक्सीन, कोटेड फैब्रिक्स, तारपोलीन, कन्वेयर बैल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, एधेसिव, और दस्तानों के निर्माण में होता है।

<u>माप की इकाई</u>

5. इस उत्पाद का व्यापार किलोग्राम (केजी) या मैट्रिक टन (एमटी) में किया जाता है। अत: केजी/एमटी को माप की इकाई माना गया है।

<u>अपवर्जन</u>

6. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

i. 60 के से कम के मूल्य वाले विचाराधीन उत्पाद
ii. पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन
iii. पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर
iv. बैटरी सेपरेटर रेजिन

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

7. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 390410 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है और इसका आईटीसी एचएस कोड 39041010 के अंतर्गत एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

8. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को उनके के मूल्य के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के लिए निम्नलिलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है:

क्र.सं.	मापदंड	रेंज	कोड
1.	के मूल्य	60-70	मध्यम
2.		70 से अधिक	उच्च

9. वर्तमान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रदान कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदक द्वारा ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अन्तर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादक वस्तु और संबद्ध देशों से आयाति किए जा रहे उत्पाद को *प्रथमदृष्टया* समान वस्तु माना जा रहा है।

ग . <u>संबद्ध देश</u>

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश **यूरोपीय संघ (ई यू)** और **जापान** हैं।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

12. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 30 सितंबर, 2024 (18 महीने) है। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

13. पीओआई उचित है क्योंकि अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 और उसके बाद अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 की अवधि की जांच से घरेलू उद्योग के बाजार और क्षति की स्थिति का व्यापक आकलन हो जाएगा क्योंकि इसमें वह अवधि शामिल होगी जिसके दौरान कोई शुल्क लागू नहीं था तथा वह अवधि जब अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू था।

ड. . <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

14. यह आवेदन मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिका में यह बताया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य उत्पादक अर्थात मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी बताया गया है कि आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।

15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं कि आवेदक अर्थात मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

च. <u>कथित पाटन के लिए आधार</u>

क. यूरोपीय संघ और जापान के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने ई यू में ट्रेड जर्नल प्रकाशन - आर्गस मीडिया में यथा-सूचित विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत के आधार पर यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

17. आवेदक ने जापान के लिए आवेदक की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकल्पित करने का प्रस्ताव किया है, जिसे जापान में लागत दर्शाने के लिए सामग्री, सुविधाओं और श्रम के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

18. तथापि, जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर किया है और उसे प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए समायोजित किया है। इच्छुक पक्ष ई यू के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

ख. निर्यात कीमत

19. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का अनुमान डीजी सिस्टम से सौदा-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात की कारखानाद्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो *प्रथमदृष्टया* दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन *न्यूनतम सीमा* से अधिक और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। पाटित आयातों

के कारण कीमतह्रास और न्यूनीकरण में आवेदक को अपनी पूरी लागत वसूल करने और आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने के लिए उसकी कीमतें बढ़ाने से रोका है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों की प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण उनके निष्पादन में बाजार हिस्से, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटितत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

22. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथमदृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. **प्रक्रिया**

23. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों <u>adv13-dgtr@gov.in</u> , <u>consultant-dgtr@govcontractor.in</u>. , <u>dd16-dgtr@gov.in</u> और <u>dd12-dgtr@gov.in</u> पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट https://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने और समय समय पर प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि-पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखने का निदेश दिया जाता है।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस को भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in , consultant-dgtr@govcontractor.in. , dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त

सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. जहां कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर से सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसने संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित), करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या

रिक्त छोड़ी गई सूचना के रूप में (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) गोपनीय सूचना का पर्याप्त सारांश रूप में अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय अंश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर ऐसे कारणों का पर्याप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीतया के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के के दावे के पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ढ. असहयोग

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्क संगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी